न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 23/2023 प्रार्थना पत्र

जी.सी.एम.एस. नम्बर–2023/131......

उनवान

1. श्री धन्ना पुत्र पेमा डांगी, उम्र बालिग
2. श्री मन्ना पुत्र पेमा डांगी, उम्र बालिग
3. श्री शंकर पुत्र पेमा डांगी, उम्र बालिग

सभी निवासीयान करावली, तहसील सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार महोदय जी सलुम्बर, तहसील सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)।

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांक: 23/12/2025

उपस्थित:– श्री राकेश प्रजापत अधिवक्ता – प्रार्थीगण
श्री राजकुमार जैन अधिवक्ता – विपक्षी

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं सहखातेदार की संयुक्त कृषि भूमि मौझा करावली पटवार मण्डल करावली जमाबंदी संवत् 2075–2078 की खाता संख्या 299 कुल किता 24 रकबा 3.93 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार है। उपरोक्त वर्णित आराजी नं. 428, 430, 431, 433, 436 में आने जाने हेतु प्रार्थीगण एवं सहखातेदार एवं अन्य ग्रामीण बिलानाम आराजी नं. 427 से विगत कई वर्षो से आना–जाना कर रहे है। यह कि उक्त बिलानाम आराजी नं. 427 में से 427/1 उपस्वास्थ्य केन्द्र करावली के नाम आवंटन होने एवं 427/2 कृषि सेवा केन्द्र करावली के नाम आवंटन होने से प्रार्थीगण व सहखातेदारों द्वारा विगत कई वर्षो से उपयोग उपभोग किये जा रहे रास्ते को बन्द कर दिया गया है, जिससे प्रार्थीगण एवं सहखातेदार अपनी कृषि भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर पा रहे है। प्रार्थीगण किसान होकर प्रार्थीगण की आजीविका का एकमात्र जरिया कृषि कार्य ही है तथा उक्त रास्ता बन्द होने से प्रार्थीगण अपना कृषि कार्य नहीं कर पा रहे है। खातेदार प्रार्थीगण बिलानाम आराजी नं. 427 में से रास्ते के लिये भूमि चाहते हैं जिसका नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करवाने के लिये तैयार है। मार्गाधिकार के अभाव में हम प्रार्थीगणों को अनेकानेक समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है एवं पुराने समय में इसी भूमि में से समस्त ग्रामवासी व अन्य खातेदार भी आना जाना करते रहे है। उक्त रास्ते के लिये मौके पर कोई वाद–विवाद नहीं है एवं पडौसी खातेदार भी सहमत होकर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

रजामंद है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त बिलानाम आराजी भूमि नं. 427 में से रास्ते के लिये भूमि प्रदान की जावे ।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। विपक्षी द्वारा प्रकरण में जवाब मय रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि–

1. **बिन्दु संख्या 1**– स्वीकार है खाता संख्या 299 कुल किता 24 रकबा 3.93 है0 के प्रार्थी सहखातेदार है।
2. **बिन्दु संख्या 2**– अस्वीकार ग्राम करावली की आराजी नम्बर 427 /1 रकबा 1.08 है0 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करावली दर्ज रिकार्ड है एवं आराजी नम्बर 427 / 2 रकबा 0.25 है0 किसान सेवा केन्द्र करावली दर्ज रिकार्ड है। एवं जिसमें कोई रास्ता नही होकर जाता है एवं प्रार्थीगण की आराजीयात 430 है एवं अन्य प्रार्थीगण की आराजीयात इसी आराजी से लगी होने से जो सलुम्बर कीर की चौकी सड़क पर स्थित होने से किसी प्रकार से प्रार्थीयों के आवागमन हेतु अन्य रास्ते की आवश्यकता नहीं है।
3. बिन्दु संख्या 3 अस्वीकार प्रार्थीगण का खेत सलुम्बर कीर की चौकी सड़क पर स्थित होने से किसी प्रकार से प्रार्थीयों के आवागमन हेतु अन्य रास्ते की आवश्यकता नही है।
4. बिन्दु संख्या 4 अस्वीकार
5. बिन्दु संख्या 5 अस्वीकार चूंकी आराजीयात 427 में से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करावली एवं किसान सेवा केन्द्र करावली के नाम भुमि होने से इसमें से रास्ता नहीं दिया जा सकता है।

प्रकरण मे मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट मगवाई गई। तहसीलदार सलूम्बर के पत्रांक 373 दिनांक 11.06.2025 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसका अवलोकन उभयपक्ष को कराया गया। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि प्रार्थी की स्वयं की आराजी नं. 428 तथा सहखातेदारी भूमि स्टेट हाईवे पर स्थित है। प्रार्थीगण के पास अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। आराजी नं. 427/2 कृषि सेवा केन्द्र एवं आराजी नम्बर 427 समस्त गंवाई के नाम दर्ज है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 11–06–2025 के बिन्दु संख्या 4 व 5 मे प्रस्तावित रास्ता मेसे प्रार्थीगण की भूमि तक आने जाने हेतु निकटतम रास्ता दिये जाने का निवेदन किया। विपक्षी ने बहस मे अपने जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पास अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने हेतु वैकल्पिक मार्ग आराजी नम्बर 428 मेसे उपलब्ध है, जो रिपोर्ट दिनांक 11.06.2025 से भी स्पष्ट है। अतः प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन की गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो को ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि– धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत रास्ता तभी प्रदान किया जा सकता है जब प्रार्थी के पास अपनी भूमि पर पहुंचने हेतु कोई अन्य साधन उपलब्ध न हो। तहसीलदार की तथ्यात्मक रिपोर्ट से यह जाहिर है कि प्रार्थीगण के पास स्टेट हाईवे से होकर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। आराजी नं. 427 वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं कृषि सेवा केन्द्र जैसे सार्वजनिक उपयोग हेतु दर्ज है, जिससे रास्ता प्रदान करना न केवल कानून बल्कि लोकहित के

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

भी विपरीत होगा। अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थीगण द्वारा धारा 251(क) के अंतर्गत रास्ता प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक शर्तें पूर्ण नहीं की गई हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251(क), राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23/12/2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला सलूम्बर
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर